सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

RCMS: 2020/00017

008/2020

श्रीमान जी,

निवेदन है कि श्रीमान जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांकः–पंजी/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत् अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत की कार्यवाही की जा रही है।

प्रार्थीया श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी श्री हरीकृष्ण कपिल जाति ब्राहमण निवासी वार्ड नं0 13 चावला चौक पुरानी आबादी तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र व आई.डी. प्रूफ,एवं दो **गवाह** का शपथ पत्र, आई.डी.प्रुफ, रसीद पेश कर निवेदन किया है कि उसके द्वारा प्रस्तुत बंद वसीयत सील्ड लिफाफा सेफ कस्टडी में रखवाई जावे। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा यह भी कथन किया गया कि उक्त बंद वसीयत मेरी मृत्यु उपरांत मेरे वारिसों द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिसनामा आदि प्रस्तुत करने पर ही बंद वसीयत खोली जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थीया को गवाहान मनोज कुमार कपिल पुत्र तीर्थ कुमार कपिल एवं गुरजीत सिंह पुत्र बलदेव सिंह ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाह की पहचान श्री दलबार सिंह बराड, श्रीगंगानगर. ने की।

अतः नियमानुसार एवं विधिसम्मत कार्यवाही से निर्धारित शुल्क जमा करवा कर सील्ड पैकेट बंद वसीयत को सेफ कस्टडी में रखने के संबंध में आदेशार्थ प्रस्तुत है।

<u>आदेशार्थ प्रस्तुत हैं।</u> 13/1/20

<u>जिला पंजीयक महोदय</u>

13/2